

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
डेरी विकास विभाग,  
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 20 सितम्बर, 2019:

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28 आयोजनागत पक्ष में महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-540-41/लेखा-प्रस्ताव आयो० महिला डेरी/2019-20, दिनांक 22 अगस्त, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) में प्राविधानित धनराशि रू० 500.00 लाख के सापेक्ष रू० 275.926 लाख (रू० दो करोड़ पचहत्तर लाख बयानवे हजार छः सौ मात्र) की धनराशि निम्न मदवार आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	मद का नाम	(धनराशि रूपये लाख में) स्वीकृति धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन/पुर्नगठन	11.774
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	224.000
3.	प्रपोल्सन चार्ज	5.100
4.	एक्सटेन्शनएण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	13.400
5.	ओवराईडिंग कॉस्ट	4.960
6.	दुग्ध उत्पादक सदस्यों हेतु प्रोत्साहन/प्रेरक कार्यक्रम	16.692
	योग	275.926

- उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि की जायेगी तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-०८ पर शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में



उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

5. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन. डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
7. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-महिला डेरी विकास योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/-2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या- IXV-2/01(06)/2018(डेरी)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. महालेखाकार कार्यालय, 'महालेखाकार भवन', कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
02. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
03. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
04. निजी सचिव, मा० मंत्री, दुग्ध को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
05. वित्त अनुभाग-4, /नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
06. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
07. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
08. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
09. विभागीय पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुन्डीर)  
उप सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

**Secretary-Secretary, Dairy  
Development(S007)**

HOD-Director Dairy Development(2353)

आवंटन पत्र संख्या -513/XV-2/01(06)2018(Dairy)

आवंटन आई डी-S19090280008

अनुदान संख्या-028

आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2019

लेखा शीर्षक

2404-डेरी विकास

00--

102-डेरी विकास परियोजनाएं


04-महिला डेरी विकास योजना

00-महिला डेरी विकास योजना Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0	27592600	0	27592600
योग	0	27592600	0	27592600

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,75,92,600 (Rupees Two Crores Seventy Five Lacs Ninety Two Thousand Six Hundred Only)**

  
(जाओएसओ पुन्डोर,  
उप सचिव  
सुपालन, डेरी, मत्स्य एवं भाषा विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।